# RAJYA SABHA

*Monday, the 2ah February,* 1984
8 *Phalguna,* 1905 *(Saka)*

The House met at eleven of the clock Mr. Chairman in the Chair.

## ANNOUNCEMENT RE. STATEMENT ON PUNJAB

SHRI R. RAMAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, the clock is showing five minutes to eleven.

**श्री रामेश्वर सिंह** (उत्तर प्रदेश): इधर कोई है नहीं। यह देखिये यह क्या है (व्यवधान) पूरा हाउस खाली है।

MR. CHAIRMAN: Mr. Rameshwar Singh, you will get extra five minutes. I think I better announce..-..

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra) : Sir, the clocks are not showing the time correctly.

MR. CHAIRMAN: That we have heard just now. It has been decided already. The motion is ruled out.

**श्री शिव चन्द्र झा** (बिहार) : यह कमेंट्री है। टेक्नालोजी मिनिस्टर क्या कर रहे हैं ? घड़ी मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? सदन में हम इसको ठीक नहीं रख सकते हैं, यह हमारे लिए एक तरह से दुख की बात हो जाती है। आप टेलीफोन देखिये, टेलीफोन भी गड़बड़ रहता है। सारे गेजेट्स आऊट आफ आर्डर रहते हैं।

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra) : The clocks have become out-of-date. New clocks must be got.

MR. CHAIRMAN: I have an announcement to make. In view of what you said to me in my chamber just now, the statement will be made today by the Home Minister....



SHRI A. G. KULKARNI: On Punjab?

MR. CHAIRMAN: ......... on Punjab.

AN HON. MEMBER: At what time?

MR. CHAIRMAN: At the usual time.

SHRI A. G. KULKARNI: It is good. We will ask for clarifications as per our convention.

MR. CHAIRMAN: Let us see how big it is.

## ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. CHAIRMAN: Now we will proceed with the Question Hour. Question No. *21.*

### Violation of provisions of the Companies Act by M/s. Sahu Chemicals and Fertilisera

*21. SHRI DHULESHWAR MEENA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state;

(a) whether M/s. Sahu Chemicals and Fertilisers, Shahupuri, Varanasi in Uttar Pradesh have violated the provisions of the Companies Act and if so, what are the details thereof; and

(b) whether Government propose to probe this matter through special inspection under the Companies and the MRTP Act and if -not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL); (a) There is no company by the name "Sahu Chemicals and Fertilisers" incorporated under the Companies Act, 1350. The said unit, however, belonging to New Central Jute Mills Company Limited was . acquired by Orissa Cement Limited after obtaining appro-

val under Section 23(4) of the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969. The books of account of New Central Jute Mills Company Limited were inspected under section 209A of the Companies Act, 1956 in 1980. Central technical non-compliance of the provisions of the Companies Act were noticed in respect of the said company, but considering the nature of the defaults and the explanation furnished by them, no penal action was considered necessary.

(b) Does not arise in view of (a) above.

**श्री धूलेश्वर मीणा** : श्रीमन, माननीय मंत्री जी द्वारा यह इंकार करने पर कि इस प्रकार की कोई कंपनी नहीं है, मेरे पास सप्लीमेंटरी क्वेश्चन करने का कोई मसाला ही नहीं रह जाता है। फिर भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार की कंपनी का अगर एग्जिस्टेंस नहीं है तो अखबारों में बार बार इस प्रकार की इनके खिलाफ कम्प्लेंट क्यों आती रहती हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की कोई कम्पनियां हैं जिनका रजिस्ट्रेशन रिकार्ड में नहीं है और इस प्रकार के अनुचित काम करती रहती हैं, बिजिनेस चलाती रहती हैं ? क्या मंत्री महोदय, आश्वासन देंगे कि इस प्रकार की कंपनियों की वे जांच करवायेंगे और जांच करवाकर सरकार को जितना रेवेन्यू का घाटा होता है उसको दूर करने के लिए इस प्रकार की कंपनियों के अगेंस्ट कोई कार्यवाही करेंगे ?

**श्री जगन्नाथ कौशल** : जैसा कि मैंने अभी सदन के सामने बयान किया, यह एक कंपनी नहीं है, यह एक यूनिट है और यह यूनिट पहले एक और कंपनी को बिलांग करती थी। उसके बाद चूंकि यह यूनिट घाटे में चल रही थी, एक दूसरी कंपनी ने जिसका कि जिक्र मैंने अपने जवाब में किया है, उसने इसको खरीद लिया और हमारे पास उसके बाद कोई शिकायत नहीं आई है। दूसरा, जब यह कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो कंपनी एक्ट का प्रयोग इसके मुताल्लिक नहीं हो सकता है।

**श्री धूलेश्वर मीणा** : जैसा कि आपने फरमाया कि दूसरी कंपनी ने इसको खरीद लिया तो मैं जानना चाहता हूं कि इसको खरीदने के बाद भी इसकी जो कार्यवाही चल रही है क्या वह ठीक ढंग से चल चल रही है। जैसा कि आपने फरमाया कि यह न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कम्पनीज लिमिटेड को बिलांग करती थी और उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड ने इसको ले लिया। तो इसको लेने के बाद क्या यह ठीक ढंग से चल रही है क्योंकि इसके अगेंस्ट भी अखबारों में काफी आ रहा है कि लोगों को कर्मचारियों को प्राविडेंट फण्ड नहीं दिया जाता है और घाटे में चल रही है। क्या सरकार को इस बात का भी पता नहीं है। तो मंत्री महोदय खासकर यह बताएंगे कि वह कंपनी जिसने इसको खरीदा है वह भी ठीक ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है ?

**श्री जगन्नाथ कौशल** : जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया है कि अगर कोई स्पेसिफिक शिकायत हमारे पास आयेगी तो उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड जिसने इसको खरीदा है, जब इंसपेक्शन किया जायेगा तो इस यूनिट की भी किताबें उसी कंपनी में देखी जायेंगी।

**श्री सभापति** : कंपनी थी कहां ?

**श्री जगन्नाथ कौशल** : यह तो यूनिट था, कंपनी नहीं थी।

**श्री सभापति** : कहां था ?

**श्री जगन्नाथ कौशल** : यह वाराणसी में था।

**श्री रामेश्वर सिंह** : श्रीमन्, मंत्री जी अपने उत्तर में कह रहे हैं कि कंपनी नहीं थी कोई यूनिट हैं। यह भी कह रहे हैं कि कोई कंप्लेंट आयेगी तो मैं जांच कराऊंगा और यह भी कहते हैं कि इस कंपनी ने कोई अनियमितता नहीं की है। अब मैं अनियमितता पर आ रहा हूं क्योंकि मैं वहीं का रहने वाला हूं, (**व्यवधान**) इन लोगों को थोड़ा कहिए कि वे अपने हित के लिए और देश के हित के लिए दो मिनट खामोश रहें . . . (**व्यवधान**)

**श्री सभापति** : आपने सिखाया है उनको, वे फालो कर रहे हैं।

**श्री रामेश्वर सिंह** : हमने नहीं सिखाया, वे आलरेडी सीख चुके हैं। सभापति जी, क्या यह सही है कि यह यह कंपनी लगातार सरकार को धोखा देती रही है, जब से इस कंपनी का साहू केमिकल्स फर्टिलाइजर का बनारस में निर्माण हुआ है? सभापति महोदय, क्या यह सही नहीं है कि यह कम्पनी बराबर इस कंपनी को बेचती रही है, इस यूनिट को ट्रांसफर करती रही है ? आप इसके लिए. चेयर की तरफ से अर्थशास्त्रियों की एक कमेटी नियुक्त करिये और प्रणब बाबू से मैं कहना चाहता हूं क्योंकि वे वित्त मंत्री हैं और क्योंकि भारत सरकार का खजाना लगा हुआ है . . . (**व्यवधान**) मैं सवाल पर आ रहा हूं . . .

**श्री सभापति** : अब आ गये मतलब की बात पर।

**श्री रामेश्वर सिंह** : मैं मतलब पर आ रहा हूं। तो क्या यह सही नहीं है कि इस कंपनी की मौजूदा स्थिति कम से कम पचास करोड़ से ऊपर की इसकी हैसियत है। यह कंपनी जो रन कर रही है, इसको आपने यूनिट कहा है, इसको यूनिट नहीं कहना चाहिए था। लेकिन जब आप इसको यूनिट कह रहे हैं, तो मैं भी इस यूनिट के बारे में सवाल कर रहा हूं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि पचास करोड़ की कंपनी, हरि फर्टिलाइजर को जो बसंत पेपर मिल वही है, जिसके मालिक यहां दिल्ली में रहते हैं और पचास लाख की बिल्डिंग जिनकी है, कहिए तो में उस बिल्डिंग का नाम भी पढ़ दूं।

**श्री सभापति** : नहीं, नाम नहीं।

**श्री रामेश्वर सिंह** : अच्छा, मैं नाम नहीं ले रहा हूं । यह बसंत मिल के डालमियां साहब ग्रेटर कैलाश में रहते हैं। क्या यह सही नहीं है कि तीन करोड़ में इस फैक्ट्री कि बिक्री हुई जब कि यह पचास करोड़ की है ?

अगर इस फैक्ट्री में घाटा होता है, तो घाटा होने पर नीलामी करने पर भी अभी यह फैक्ट्री पचास करोड़ की बिकेगी। तो तीन करोड़ में इस फैक्ट्री को कैसे बेचा गया? और अगर तीन करोड़ में बेचा गया है तो क्या यह सही नहीं है कि स्टाम्प चोरी के मामले में आलरेडी कम्प्लेंट गवर्नमेंट के पास किया गया है ?

क्या यह सही नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट के पास इसका कम्पलेंट किया गया है? क्या यह सही नहीं है कि इंकम-टैक्स विभाग तथा वित्त विभाग को भी कम्पलेंट किया गया है? लेकिन इन सारी कम्पलेंट्स के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है।

क्या आप इसकी जांच करवायेंगे और जो इन्होंने स्टाम्प की चोरी की है और जो पचास करोड़ की . . . **(व्यवधान)** तो क्या इस कंपनी को सरकार जब्त करेगी क्योंकि स्टाम्प की चोरी कोई मामूली चोरी नहीं है।

**श्री सभापति** : पचास करोड़ की फैक्ट्री तीन करोड़ में कैसे बिकी बस, इतना सा सवाल है।

**श्री जगन्नाथ कौशल** : हां, सवाल इतना सा ही है।

**श्री सभापति** : मगर वल्यू इन्होंने पचास करोड़ लगायी है।

**श्री जगन्नाथ कौशल** : सभापति जी, आपने ठीक फरमाया जब इस कंपनी को बेचने और खरीदने की प्रोपोजल . . .

**श्री रामेश्वर सिंह** : क्या उन्होंने आपकी इजाजत ली?

**श्री सभापति** : आप इस जुमले में मत खड़े हों।

**श्री जगन्नाथ कौशल** : जब खरीदने की प्रोपोजल आई, तो एम०आर०टी० पी० एक्ट के नीचे खरीदने वाली कंपनी ने हमारी एप्रुवल चाही। तो उस सारी बात को देखा गया और 3 करोड़ 45 लाख में जो कीमत मुकर्रर हुई, वह कंपनी के डाइरेक्ट्स को देख कर डेप्रिसिएशन को देख कर, वैल्यूअर्स की रिपोर्ट को देख कर यह निर्णय किया गया कि यह यह वैल्यू ठीक है और उस वैल्यू पर 1980 में एप्रुवल दे दिया गया।

**श्री रामेश्वर सिंह** : आपने यह कबूल किया। सभापति जी, आप मेरी हिफाजत करिए और मेरी ही नहीं—मैं चाहता हूं कि जब उन्होंने जवाब दिया—मैं सवाल पूछ रहा हूं—आपसे मैं चाहता हूं कि आप हमारी रक्षा करें क्योंकि इतनी बड़ी बंगलिंग हुई है मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि और आपने जो अभी कबूल या कि हमसे परमिशन मांगा गया, किया परमिशन देने वाले अधिकारियों ने इसमें दस करोड़ रुपये नहीं खाये हैं? . . . **(व्यवधान)** सुनिये, सभापति जी।

MR. CHAIRMAN: You can say that you want notice.

SHRI JAGANNATH KAUSHAL: But what he is saying should not go on record. He is lebelling allegations against an officer without any basis.

**श्री रामेश्वर सिंह** : सभापति जी, एक सेकण्ड हमारी बात सुन लीजिए। अब आप इसकी जांच करवाइये।

**श्री सभापति** : मि० मिनिस्टर, जो उन्होंने कहा है, वह खुद ही उसको मंजूर करेंगे और तो कोई मंजूर नहीं कर रहा है।

**श्री रामेश्वर सिंह** : सभापति महोदय, आप मेरी केवल इतनी मदद कर दीजिए कि क्या सरकार इसकी जांच कराएगी? मुझे सिर्फ इतना ही आश्वासन चाहिए कि क्या आप किसी हाई-पावर्ड कमेटी से जांच करवायेंगे, जो उसके वैल्यूएशन की जांच करेगी क्योंकि आप के अफसर लोगों ने जो रिपोर्ट दी है, वह क्या रिपोर्ट देते हैं, सभापति जी आपको मालूम है, देश को मालूम है? जो इन अफसर लोगों ने

रिपोर्ट दी है, मैंने चैलेंज किया था कि यह पैसा खा रहे हैं।

**श्री सभापति** : रामेश्वर सिंह जी, मुझे हाउस की रक्षा करनी पड़ रही है। आप जरा शांति से बैठ जाइये।

**श्री रामेश्वर सिंह** : मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं कि क्या आप जांच करवायेंगे ?

**Payment of minimum wages to agricultural workers**

*22. SHRI INDRADEEP SINHA:+
SHRI SURAJ PRASAD:

Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the provisions of the Minimum Wages Act are not being implemented in many States for the purpose of fixation and revision of minimum wages of agricultural workers;

(b) whether any study has been conducted by Government regarding the enforcement of the Minimum Wages Act;

(c) which are the States which do not have adequate enforcement machinery; and

(d) what are the difficulties in Implementing the provisions of the Act?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (SHRI DHARAMVIR): (a) No, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) While States have made arrangements for enforcement of minimum wages in agriculture,.it is felt tbat the existing machinery is not adequate in many States.

(d) Major difficulties in the implementation of minimum wages in respect of agricultural workers are the seasonal nature of agricultural employment coupled with the illiteracy of workers, their inability to organise and non-availability of alternative employment opportunities. Thus the socio-economic conditions prevailing in the agriculture sector nose major difficulties in the enforcement of the provisions of the Act.

SHRI INDRADEEP SINHA: Sir, 1 would first like to put a question...

MR. CHAIRMAN: That is what you are supposed to do.

SHRI INDRADEEP SINHA: regarding the general statement that the honourable Minister has made that because of some socio-economic conditions of the agricultural labourers, the minirnum wages are not being enforced and that they are disorganised, dispersed, scattered and all that. Now, Sir, I would like to cite a concrete case, the case of Jwalagere Central Farm, under the Government of India, wher© 1,200 workers, agricultural labourers, are organised in a union which, is also registered, are on strike from the 31s! of January. They have even gone to the tehsildar's office and demonstrated there for the fulfilment of their demands. Now, is it a fact that these workers of a Government farm, a Centrally-owned farm, do not get even the minimum wages fixed by the Government of Karnataka for that State and is it also a fact that women are compelled to carry loads on their heads which is banned, and which is not allowed under the law? Is it also a fact that for refusing to carry head-loads, thirty women workers have been dismissed ? Will the honourable Minister at least assure the House that in the farms owne by Central Government, the minimum wages fixed by the Government of India will be enforces?

fThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Indradeep Sinha.